भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 706

दिनांक 08 फरवरी, 2021 को उत्तर देने के लिए

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शौचालयों के निर्माण की स्थिति

706. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा शौचालयों के निर्माण के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्टों में शौचालयों की गैर-मौजूदगी, आंशिक रूप से निर्माण और शौचालयों के खराब रख-रखाव सहित भारी विसंगतियां और खामियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कथित रूप से जनता के पैसों के कुप्रबंधन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विरूद्ध क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शौचालयों के निर्माण के लिए दी गई निधि का दुर्विनियोग किए जाने की कोई गुंजाइश है; और

(घ) ऐसे खराब कार्य-निष्पादन के लिए कितने अधिकारियों को फटकार लगाई गई है अथवा दंडित किया गया है, उनके नाम, पदनाम और ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

(क), (ख), (ग) और (घ): शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) और प्राइवेट कारपोरेट्स के साथ मिलकर वर्ष 2014 में स्वच्छ विद्यालय पहल की शुरूआत की थी ताकि एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराए जा सकें। इस पहल के तहत, दिनांक 15 अगस्त, 2015 तक 2,61,400 सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में 4,17,796 शौचालयों का निर्माण/पुनर्निर्माण किया गया था।

शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 2017 को स्वच्छ विद्यालय की पहल में भाग लेने वाले सीपीएसईज़ से अनुरोध किया था कि उनके द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित शौचालयों का कम से कम पांच वर्ष तक रख-रखाव किया जाए। हाल ही में, सीपीएसईज़ द्वारा स्कूल में शौचालय निर्माण के संबंध में सीएजी की एक रिपोर्ट (2019 की रिपोर्ट संख्या 21) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सीएजी की रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने और स्वच्छ विद्यालय पहल के तहत सीपीएसईज़ द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित स्कूल शौचालयों के रख-रखाव पर विचार करने के लिए दिनांक 3 नवंबर, 2020 को संबंधित सीपीएसईज़ के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध किया है। चूंकि सीपीएसईज़ मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं, अत: शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई सीपीएसईज़ और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जानी अपेक्षित है ।

****